पत्रांक-DHEsec1/BBMKU-संबंधन-28/2022/HTESD......1723....../

**झारखण्ड सरकार**

**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

**(उच्च शिक्षा निदेशालय)**

**योजना भवन, तृतीय तल, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.**

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

कुलसचिव,
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद।

राँची, दिनांक:- 20/10/2022 /

**विषय:-** **बाघमारा कॉलेज, बाघमारा, धनबाद में स्नातक कला एवं विज्ञान (प्रतिष्ठा) में सत्र 2022-26 के लिए अस्थायी नवसंबंधन के संबंध में।**

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1009 दिनांक-26.07.2022 एवं पत्रांक-1175 दिनांक-29.08.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सूचित करना है की राज्य सरकार ने बाघमारा कॉलेज, बाघमारा, धनबाद को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में नयी शिक्षा नीति के तहत् एवं परिनियम के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी नवसंबंधन के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

| क्र0 | संकाय एवं स्तर | विषय | सत्र | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कला संकाय (प्रतिष्ठा) | अंग्रेजी, उर्दू, भूगोल, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान एवं संस्कृत। In all the proposed major courses along with all the subject required for subject mapping common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the frame work for FYUGP. | 2022-26 के लिए | अस्थायी नवसंबंधन। |
| 2. | विज्ञान संकाय (प्रतिष्ठा) | जन्तु विज्ञान। In all the proposed major courses along with all the subject required for subject mapping common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the frame work for FYUGP. | 2022-26 के लिए | अस्थायी नवसंबंधन। |

2. शर्तः-

i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक- BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.1986 संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक-749 दिनांक-13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।

ii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं विभाग द्वारा पूर्व में दिये गए सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

iii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत् NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

(सूरज कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा।